

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
डा. कल्याण सिंह भवन
मंत्रालय

-:: आदेश ::-

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी, 2012.

क्रमांक/११७०/एल-13/3/ब-4/चार:- राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा-6 (1) (ख) के प्रावधान अनुसार राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-

- | | | | |
|-----|---|---|------------|
| (1) | मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | - | अध्यक्ष |
| (2) | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग | - | सदस्य |
| (3) | सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, योजना विभाग | - | सदस्य |
| (4) | संचालक, संस्थागत वित्त | - | सदस्य |
| (5) | संचालक, बजट, वित्त विभाग | - | सदस्य-सचिव |

2. इस समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 3 में विहित राजकोषीय संकेतकों की समीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष में कम से कम दो बार की जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. ए.के. सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग